

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 525 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अजय राज सिंह रावत	श्री गजेन्द्र सिंह रावत	गाम-सैन्द्री चौरस कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	सामान्य	01.05.1980	टिहरी गढ़वाल	बी0ए0/बी0एड0	47.25	रा0इ0का0 तोल्यो सल्ट अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 526 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथार्थशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रमेश चन्द्र	श्री श्री बल्लभ	ग्राम-दीपाकोट पो०-भगोती, जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	20.07.1978	अल्मोड़ा	एम०ए० अर्थशास्त्र, इतिहास/बी०एड ०	47.25	रा०इ०का० गलई कन्धार बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सोवार्थे 3क(2)/अराज0/

5/8

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0सं0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	लक्ष्मी	श्री दौलत सिंह	ग्राम-हिम्मतपुर ब्लाक, पो0-पीरूमदारा, रामनगर नैनीताल	सामान्य	11.03.1989	नैनीताल	बी0ए0/बी0एड0	49.75	रा0इ0का0 चमतोला अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 532 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/ 2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लता काण्डपाल	श्री नरोत्तम मठपाल	निकट ओम कालोनी, हिम्मतपुर मल्ला, पो0-हरिपुर नायक, हल्द्वानी जिला-नैनीताल	सामान्य	12.06.1982	नैनीताल	एम0ए0 राजनीति शा0/बी0एड0	46.25	रा0क0उ0मा0वि0 बिचखाली नैनीताल औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 519 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	संजय सिंह	श्री बहादुर सिंह	ग्राम-फल्याटी, पो0-भैसड़गाँव, सोमेश्वर जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	08.07.1992	अल्मोड़ा	बी0ए0/बी0एड0	49.00	रा0इ0का0 झलतोला पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 52/ /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मौहम्मद नासिर	श्री अनवर हुसैन	निकट पूल्ड आवास, विकास भवन के पीछे, पिथौरागढ़	सामान्य	01.05.1982	पिथौरागढ़	बी0ए0/बी0एड0	48.75	रा0इ0का0 गूठगरसाड़ी चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 522 / 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, बल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति तान्त्रिक अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का पत्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति देश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन ह अस्वास्थ्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सं० 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
महिपाल सिंह कार्की	श्री पुष्कर सिंह कार्की	गाम-नायल, पो०-पांखू, बेरीनाग पिथौरागढ़	सामान्य	09.06.1990	पिथौरागढ़	एम०ए० अर्थशास्त्र/बी०ए० ड०	48.50	रा०उ०मा०वि० मकड़ाऊ, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 523 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	जय चन्द्र	श्री खुशाली राम	ग्राम-बिराल गौव मल्ला, पो0-झिमार सल्ट, जिला-अल्मोड़ा	अनु0 जाति/176/06 /18.03. 06/सल्ट	06.06.1977	अल्मोड़ा	एम0ए0 राजनीति विज्ञान/बी0एड0	48.00	रा0उ0मा0वि0 शीलबरुड़ी चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 524 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गृथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अंजना पन्त	श्री उमेश चन्द्र पन्त	ग्राम-दन्या तहसील-भनोली, अल्मोड़ा	सामान्य	04.09.1993	अल्मोड़ा	बी0ए0/बी0एड0	48.00	रा0उ0मा0वि0 मसमोली अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

- निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
 सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 महाविदेशिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
 सम्बन्धित वरिष्ठ कक्षाधिकारी।
 सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमायूँ मण्डल।
 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जम्माद।
 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे भीथे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
 (क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की मूला-मूर्ति जांच कर ली जाय। किन्ति भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
 (ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
 (ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेश प्रस्तुत नहीं करेगा।
 (घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (सोअ0एल0टी0-सामान्य) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
 (1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि परन्तु उक्त दो विषयों में एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो।
 (2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

- (1)-एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ उत्तीर्ण हो।
 (ड)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
 (च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
 (छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....
 पूरा नाम.....
 पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचारधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमायूँ मण्डल नैनीताल

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
 प्रतिहस्ताक्षरित.....
 संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....
 नाम.....
 पदनाम.....
 विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/

527

/2025-28 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गृहसंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सशिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त करीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह अस्वाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सन्तोष कुमार आर्या	श्री चन्द्रशेखर आर्या	ग्राम-किलकोट, पो०-पन्तकोटुली, रानीखेत अल्मोड़ा	अनु० जाति/10051/1 2.09. 2018/रानीखेत अल्मोड़ा	08.08.1982	अल्मोड़ा	बी०ए०/बी०एड०	46.25	रा०इ०का० बन्तोली बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 528 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	कृष्णानन्द जोशी	श्री शंकर दत्त जोशी	ग्राम-तोली, पो-बसौरा, बंगापानी पिथौरागढ़	अ0पि0वर्ग/0049 6/12.01. 2024/पिथौरागढ़	03.07.1977	पिथौरागढ़	एम0ए0 राजनीति विज्ञान/बी0एड0	45.75	रा0उ0मा0वि0 चौगाव अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 529 /2025-26 दिनांक/13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दिप्ती आर्या	श्री विशन राम आर्या	ग्राम-हरिनगर पो0-नथुवाखान जिला-नैनीताल	अनु0 जाति/00450/2 3.04. 2015/नैनीताल	30.12.1985	नैनीताल	एम0ए0 इतिहास/बी0एड 0	41.25	रा0उ0मा0वि0 आमथल पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गुजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 530

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गृथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	संजय किशोर	श्री ओम प्रकाश	ग्राम-छड़ी, पो०-कण्डाई, नन्दप्रयाग जिला-चमोली	अनु० जाति/784/09. 07.2004/चमोली	10.05.1984	चमोली	बी०ए०/बी०एड०	40.75	रा०इ०का० दूनाकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 531

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, स्लेब-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	संजय लाल	श्री रमेश लाल	ग्राम-काण्डी, पो0-बरबा, रुद्रप्रयाग	अनु0 जाति/1443/06.10.2009/रुद्रप्रयाग	05.07.1991	रुद्रप्रयाग	एम0ए0 अंग्रेजी/बी0एड0	40.25	रा0इ0का0 पैयापौड़ी पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवार्ये 3क(2)/अराज0/ 533 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/ 2025 के अधीन रहेगा।

10 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-सामान्य-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सोनिया आर्या	श्री सतीश चन्द्र आर्या	ग्राम व पो0-खनखुँ, ओखलकाण्डा जिला-नैनीताल	अनु0 जाति	05.07.1985	नैनीताल	एम0ए0 इतिहास/ कु0वि0 वि0 नैनीताल	43.50	रा0क0इ0का0 लोहाघाट चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

लिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।

सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।

सम्बन्धित चरित्र कोषाधिकारी।

सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।

चरित्र पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-

(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की मूला-मौलि जाँच कर ली जाय। क्रियित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जाँच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-सामान्य) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-

(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि परन्तु उक्त दो विषयों में एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो।

(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

(1)-एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.A.Ed) भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ उत्तीर्ण हो।

(ड)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- निःशक्तता की स्थिति में निःशक्तता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष.....

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीसहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।

प्रतिहस्ताक्षरित.....

संस्थाध्यक्ष.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विद्यालय.....